

न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत—जिला कलक्टर

मुकाम : दौसा

गोविन्दा बनाम सरकार

किस्म मुकदमा— अपील अंतर्गत धारा 91 भू0रा0अ0

प्रकरण संख्या 178/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.03.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। बार-2 अलग अलग समय पर आवाज लगवाने के उपरांत भी अपीलांट अथवा अधिवक्ता अपीलांट में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि उप तहसीलदार सैथल द्वारा मु0 नं0 428/2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम गोविन्दा में पारित निर्णय दिनांक 26.12.2018 विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विधि एवं नियमों के तहत पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर दिनांक 26.12.2018 को निर्णय पारित किया गया है जो विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भंडार हो। निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



जिजिला कलक्टर
दौसा